

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायालय, कानपुर नगर।

निविदा सूचना

पत्रांक ५३९

कानपुर नगर

दिनांक 16/10/2023

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस जनपद न्यायालय कानपुर नगर के निम्नलिखित निष्प्रयोज्य, अनुपयोगी एवं आउट डेटेड कम्प्यूटर एवं पुराने कम्प्यूटर हार्डवेयर की नीलामी कराया जाना है, जिनका विवरण निम्नवत् है-

**List of Unused, Outdated and Faulty Old Computer Equipments**

S. No.	Equipment Name	Quantity
1	HCL PC (CPU)	41
2	HCL Monitor (17 Inches)	41
3	HCL Winbee Thin Client	183
4	HCL Monitor (15 Inches)	170
5	Server Monitor	1
6	Scanner HP Scanjet8270	1
7	TVS MSP DMP Printer	61
8	HP Laser Jet Printer P1008	35
9	Uni-line UPS (600 VA)	6
10	UPS BPE (1 KVA)	34
11	Cartridges	1500
12	White DMP Printer (TVS QX255)	17
13	HP Laser Jet Printer 1200	1
14	HCL white Keyboard (HCK 4200)	18
15	HP Scanjet Scanner (3670)	1
16	HCL CPU Infinite 2000	2
17	L.G. CRT Monitor	2
18	Uni-line UPS (1 KVA) without Battery Bank	1
19	Acer CRT Monitor	1
20	CRT Terminal Monitor	20
21	CVT	13

इच्छुक केता उपरोक्त निष्प्रयोज्य, अनुपयोगी एवं आउट डेटेड कम्प्यूटर एवं पुराने कम्प्यूटर हार्डवेयर का न्यूनतम मूल्य 90,300/- की दर से अधिकतम बोली बोलना चाहते हो तो वे दिनांक 19.10.2023 रायस साथ 4:00 बजे तक केन्द्रीय नजारत में 20,000/-की जमानत धनराशि जमा कर बोली में भाग ले सकते है। बोली बोलने के उपरान्त जमानत धनराशि वापस कर दी जायेगी। नीलामी, उच्चतम बोली बोलने वाले को दी जायेगी। प्रत्येक बोली लगाने वाला व्यक्ति सिर्फ स्वयं के लिये ही बोली लगा सकेगा तथा उसके द्वारा लगायी बोली की धनराशि में किसी भी दशा में किसी कमी पर विचार नहीं किया जायेगा। कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नीलामी पर बोली लगाने के लिये तब तक अधिकृत नहीं होगा जब तक कि उसने ऐसे व्यक्ति से जो नीलामी पर उपस्थित हैं, लिखित प्राधिकार नहीं प्राप्त कर लेता। जहाँ जैसे हैं इस शर्त पर निष्प्रयोज्य, अनुपयोगी एवं आउट डेटेड कम्प्यूटर एवं पुराने कम्प्यूटर हार्डवेयर की नीलामी की जायेगी। नीलामी के पूर्व केता किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नजारत में सम्पर्क कर उक्त निष्प्रयोज्य, अनुपयोगी एवं आउट डेटेड कम्प्यूटर एवं पुराने कम्प्यूटर हार्डवेयर का निरीक्षण कर सकते हैं। जी0एरा0टी0 रजिस्टर्ड फर्म तथा जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र जिनके पास होगा उन्ही की जमानत धनराशि जमा की जायेगी तथा वही बोली में भाग ले सकेगा। बोली के अन्तिम होते ही मूल्य का 25 प्रतिशत अर्नेस्ट गनी के रूप में तत्काल नगद जमा करा जिया जायेगा तथा निष्प्रयोज्य अनुपयोगी एवं आउट डेटेड कम्प्यूटर एवं

नियमानुसार जमा करना होगा। इस हेतु बैंक ड्राफ्ट एवं हुन्डी स्वीकार नहीं होगी। अर्नस्ट मनी जमा न करने की दशा में बोली तत्काल निरस्त कर दी जायेगी तथा उससे पूर्व उच्चतम बोली लगाने वाले को उक्त निष्प्रयोज्य, अनुपयोगी एवं आउट डेटेड कम्प्यूटर एवं पुराने कम्प्यूटर हार्डवेयर को बैंच दिया जायेगा, अग्रिम धन जमा करने में असफल बोली लगाने वाले के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी। यदि सफल बोली लगाने वाला व्यक्ति निर्धारित समय के अर्न्तगत धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो उसके पक्ष में नीलागी को निरस्त कर दिया जायेगा तथा अग्रिम को जब्त कर लिया जायेगा साथ ही उक्त निष्प्रयोज्य, अनुपयोगी एवं आउट डेटेड कम्प्यूटर एवं पुराने कम्प्यूटर हार्डवेयर को अगली उच्चतम बोली लगाने वाले को प्रस्तावित किया जायेगा। सफल बोली को स्वीकार किये जाने की लभित दशा में बोली लगाने वाला नीलागी के परिसर के अर्न्तगत अपने उत्तरदायित्व पर उक्त निष्प्रयोज्य, अनुपयोगी एवं आउट डेटेड कम्प्यूटर एवं पुराने कम्प्यूटर हार्डवेयर की अभिरक्षा की उचित व्यवस्था करेगा। पूर्ण भुगतान के बाद केन्द्रीय नाजिर/सिस्टम ऑफिसर की उपस्थिति में उक्त निष्प्रयोज्य, अनुपयोगी एवं आउट डेटेड कम्प्यूटर एवं पुराने कम्प्यूटर हार्डवेयर को उठाकर ले जाना होगा। भुगतान हो जाने के 07 दिनों के अन्दर उक्त निष्प्रयोज्य, अनुपयोगी एवं आउट डेटेड कम्प्यूटर एवं पुराने कम्प्यूटर हार्डवेयर को उठाकर ले जाना आवश्यक होगा अन्यथा 01 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से दिकय गूल्य पर अतिरिक्त प्रभार निर्धारित किया जायेगा। चुंगी अथवा अन्य किसी कर की देयता जो विधि के अधीन बकाया हो कैंता की होगी। अधिकतम धनराशि के बोलीकर्ता को नीलागी के उपरान्त नियमानुसार बोली को स्वीकृत व अस्वीकृत करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, कानपुर नगर के पास सुरक्षित है। नीलागी की कार्यवाही जनपद न्यायालय के बहुखण्डीय भवन के प्रथम तल के बरामदे में दिनांक 07.11.2023 को सांय 4:30 बजे सम्पादित की जायेगी।

(सन्तोष कुमार तिवारी)  
विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.एक्ट/  
अध्यक्ष,  
नीलागी समिति जनपद न्यायालय,  
कानपुर नगर।

इस नोटिस की एक एक प्रति नोटिस बोर्ड, जिला एवं सत्र न्यायालय, कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर, कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चरपा की जाये, व एक प्रति निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ को प्रकाशन हेतु प्रेषित की जाये तथा जनपद न्यायालय की वेबसाईट पर सिस्टम आफिसर से अपलोड कराये।

S.K. Singh  
16.10.2023  
(सन्तोष कुमार तिवारी)  
विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.एक्ट/  
अध्यक्ष,  
नीलागी समिति जनपद न्यायालय,  
(सन्तोष कुमार तिवारी)  
विशेष न्यायाधीश  
एस.सी.एस.टी. एक्ट, कानपुर नगर